


आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">03.03.2022</div>	<p style="text-align: center;">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p style="text-align: center;">बी०बी०सी० पुनरीक्षण 76/2008</p> <p style="text-align: center;">अर्जुन लाल मोदी बनाम अरूण गुप्ता।</p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा बी०बी०सी० अपील 23 आर० 15/2003-04 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था। प्रश्नगत वाद में आवेदक एवं विपक्षी लगातार अनुपस्थित है। आवेदकों की तरफ से अंतिम हाजरी वर्ष 2015 में दी गयी थी। मूलतः भवन नियंत्रण-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बी०बी०सी० वाद 22/2001 में विपक्षी जो मकान मालिक है के अनुरोध पर किराये का पुनः निर्धारण करते हुए 750/-रु० से बढ़ाकर 1338/-रु० प्रतिमाह निर्धारित किया था। इसी आदेश के विरुद्ध आवेदकों के द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में अपील दायर की गयी। उक्त न्यायालय में लगातार 8 तिथियों पर आवेदक अनुपस्थित रहें। दिनांक 07.06.2006 को हाजरी दायर करने के बाद भी आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके पश्चात् अपील आवेदन खारिज कर दिया गया। इस आदेश के बाद 24.04.2008 को वाद को पुनर्जीवित करने हेतु आवेदन दिया गया जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस पुनरीक्षण वाद में आवेदकों के द्वारा किराया के पुनः निर्धारण की चुनौती दी गयी है। विपक्षी द्वारा एक जवाब दायर किया गया है जिसमें यह सूचित किया गया है कि आवेदकों के तरफ से उन्हें किराये का भुगतान भवन नियंत्रक के आदेश के पश्चात् नहीं किया जा रहा है।</p> <p style="text-align: right;">भवन नियंत्रक का आदेश देखने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त</p>	



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>न्यायालय द्वारा किराया निर्धारण के पूर्व प्रश्नगत् परिसर की 3 अलग-अलग पदाधिकारियों के द्वारा तीन बार जाँच करयी गयी । जिसके पश्चात् किराया का निर्धारण 750/- से बढ़ा कर 1338 रू० प्रतिमाह कर दिया गया। उक्त किराया निर्धारण में प्रश्नगत् परिसर के सभी भाग यथा कमरें सिढ़ी के नीचे का स्थान गलियारा आदि का आकलन करते हुए किराये का निर्धारण किया गया है। स्पष्टतः यह किराये की वृद्धि अत्यधिक नहीं कही जा सकती जैसा की आवदकों के तरफ से दावा किया जा रहा है। प्रश्नगत् परिसर शहर के मुख्य व्यावसायिक इलाके में अवस्थित है। आवेदकों का रवैया नकारात्मक रहा है एवं वे मात्र इस विषय को विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं में लंबित रखना चाहते है। अपीलीय न्यायालय में उनके अपील आवेदन को खारिज किये जाने के पश्चात् भी उन्हें इसकी सूचना ससमय नहीं मिल पाई। इस न्यायालय में ही 5 वर्षों के अधिक समय से आवेदक अनुपस्थित है। ऐसे स्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>W. K. Kamran</i> प्रमण्डलीय आयुक्त</p>	